राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण राज0, जयपुर)

क्रमांक: एफ 18(आई–24)निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2009–10/264 दिनांक : 23/2/10

परिपत्र

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य में परियोजनाऐं स्वीकृत की गई है, जिनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय पत्रांक 1822-2104 दिनांक 11.11.2009 द्वारा जारी की जा चुकी है। विभागीय पत्रांक 2376-2587 दिनांक 10.12.2009 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रवेश बिन्दु गतिविधि हेतु कार्य राज्य में पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात ग्रामसभा की सहमति के अनुसार प्रारम्भ किये जायेंगे।

राज्य में पंचायत चुनाव सम्पन्न हो चुके है एवं पंचायत राज संस्थाओं का विधिवत गठन किया जा चुका है। अतः प्रवेश बिन्दु गतिविधि हेतु परियोजना की लागत का 4 प्रतिशत राशि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाना है।

प्रवेश बिन्दु गतिविधि परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी के स्तर से सम्पादित की जाएगी। इस गतिविधि का मूल उद्देश्य जलग्रहण विकास दल के साथ ग्रामीण समुदाय की विश्वसनीयता एवं सम्बन्ध स्थापित करना है। इसके अन्तर्गत स्थानीय समुदाय की तत्काल आवश्यकता पर आधारित कार्य परियोजना में लिये जावें। भारत सरकार द्वारा जारी "समान मार्गदर्शी सिद्धान्त–2008" के पेरा 50 में प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्थानीय समुदाय की तत्काल आवश्यकता पर आधारित कार्य जैसे सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग योग्य बनाना, पेयजल की उपलब्धता बढ़ाना, स्थानीय ऊर्जा शक्यता का विकास करना, भू जल शक्यता का संवर्द्धन आदि सम्मिलित है।

ग्रामवासियों को ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से ऊर्जा शक्यता के विकास अन्तर्गत सामुदायिक सौर प्रकाश व्यवस्था विकसित की जा सकती है।

प्रवेश बिन्दु गतिविधि सम्पादित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

सर्वप्रथम परियोजना कियान्वयन ऐजेन्सी द्वारा ग्राम सभा आयोजित कर ग्रामीण समुदाय की राय/सहमति के अनुसार कार्य का निर्धारण करेगी एवं उक्त कार्य हेतु ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करेगी। यह ध्यान रखा जावे कि जहाँ तक सम्भव हो, परियोजना के अन्तर्गत आने वाले अधिकतम गाँवों में कार्य लिये जावें। इस हेतु प्रत्येक गाँव के परियोजना क्षेत्र में स्वीकृत क्षेत्रफल के अनुपात में राशि का निर्धारण किया जा सकता है।

पी.आई.ए.चयनित कार्यो का तकमीना बनाएगी एवं नियमानुसार इनकी तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशका के अनुसार जारी करने/कराने की कार्यवाही करेगी।

3. प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत परियोजना लागत की 4 प्रतिशत राशि खर्च की जानी है अतः जो भी कार्य लिये जाएं उन पर प्रावधान के अनुसार ही राशि व्यय की जाए।
4. उक्त कार्य के संबंध में पी.आई.ए. स्तर पर सर्वाङ्गीण रिकार्ड का संधारण किया जाएगा।
5. परियोजना प्रबन्धक डी.डब्ल्यू.डी.यू. अपने जिले में चल रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे एवं पी.आई.ए. स्तर पर रिकार्ड संधारण को सुनिश्चित करेंगे।
6. इन कार्यों का सम्पादन परियोजना प्रबन्धक द्वारा इन परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में दिये निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।

प्रवेश बिन्दु गतिविधि परियोजना क्रियान्वयन का प्रारंभिक चरण है, अतः अपेक्षा की जाती है कि प्रवेश बिन्दु गतिविधि के कार्यों के चयन एवं क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान दिया जायेगा। प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत कार्य चिन्हित कर सम्पादन का कार्य 31 मार्च 2010 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

आयुक्त

क्रमांक: एफ.18(आई-)निजप्रस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./2009-10/1264-1020 दिनांक 23/10

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, मु0 जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, मु0 जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, (एम.आई.डी.एस.) मु0 जयपुर।
4. उप निदेशक, (आई.डब्ल्यू.एम.पी. / प्रशिक्षण / प्रशासन / ग्रामीण विकास / गु.नि.)।
5. सभी परियोजना प्रबन्धक समस्त, डी.डब्ल्यू.डी.यू. जिला परिषद.............................।
6. सहायक अभियन्ता, (पी.आई.ए.) पंचायत समिति ....।

आयुक्त